उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-13/2026/आडिट-1-05(3)/दस-2026-320(1)/2024
लखनऊ ; दिनांक : 31 मई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री शेष नाथ सिंह, उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ (पी0सी0एफ0) को उप निदेशक, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पद पर एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2- श्री शेष नाथ सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।